R.M.M. Law College - Saharsa.
Manvendra Mandal
part time Lecturer

Subject- specific contract
Part-II

उपनिहिती के अधिकार और कर्तव्य (Duty and Right of Bailee)

(1) आवश्यक व्ययों को Bailor से वसूल करने का अधिकार (धारा-158) यदि Bailment की शर्तों के अनुसार Bailee द्वारा Bailor के लिए माल रखा जाता है या एक जगह से दूसरे जगह स्थानान्तरित किया जाता है, या उस पर कोई काम किया जाता है और इसके लिए Bailee को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में Bailee Bailor से Bailment के प्रयोजन हेतु उपगत आवश्यक व्ययों को वसूल कर सकता है।

(2) उपनिधाता के उपनिधान करने या माल को वापस लेने या उसके सम्बन्ध में निर्देश देने का हकदार न होने के कारण होने वाली हानि के लिए प्रतिकर वसूल करने का अधिकार (धारा-164) — उपनिधाता (Bailor) Bailee के किसी भी हानि के लिए पूर्णरूपेण उत्तरदायी है, क्योंकि उसे उपरोक्त हक प्राप्त नहीं है, ऐसा की इंगित है।

(3) उपनिहिती का धारणाधिकार (Right of lien) — धारा 170 और 172 — यदि Bailee के विधिक व्ययों या खर्चों की अदायगी नहीं करता है तो Bailee उपनिहित माल को रोक सकता है। इसे Bailee का धारणाधिकार कहते हैं। Bailee का धारणाधिकार दो प्रकार का हो सकता है -
(i) विशिष्ट धारणाधिकार (ii) साधारण धारणाधिकार

(i) विशिष्ट धारणाधिकार (धारा 170)

धारा 170 के अनुसार यदि Bailee ने उपनिहित माल के सम्बन्ध में Bailment के प्रयोजन के अनुसार कोई ऐसी सेवा की जिसमें श्रम या कौशल का प्रयोग अन्तर्ग्रस्त है तो ऐसी दशा में प्रतिकूल संविदा के अभाव में वह तब तक उपनिहित माल को रोक सकता है, जब तक वह उन सेवाओं के लिए जो उसने उसके सम्बन्ध में किया है, सम्यक् पारिश्रमिक नहीं प्राप्त कर लेता है।

विशिष्ट धारणाधिकार का दावा करने के लिए यह आवश्यक है कि (1) Bailee ने

Scanned with CamScanner

P-2 उपनिहिती के अधिकार एवं कर्तव्य
Duty and Right of Bailee

उपनिहित माल के सम्बन्ध में Bailment के प्रयोजन के अनुसार श्रम या कौशल लगाया हो (ii) उसके द्वारा की गई सेवाओं से उपनिहित माल में कुछ सुधार हुआ है।
(iii) विशिष्ट धारणाधिकार का दावा उस माल के सम्बन्ध में किया गया है जिस पर श्रम व कौशल लगाया गया है।
(4) विशिष्ट धारणाधिकार Bailee को तभी तक प्राप्त है जब तक वह माल जिसके सम्बन्ध में सेवायें की गई हैं, उपनिहिती के कब्जे में है। यदि उस माल पर Bailee का कब्जा समाप्त हो जाता है तो उसका धारणाधिकार भी समाप्त हो जाता है।
(5) यदि Bailee को मरम्मत के लिए कोई वस्तु दी गई है और वह नियत समय के अन्दर मरम्मत नहीं करता है या समय नियत न होने की दशा में युक्तियुक्त समय के अन्दर मरम्मत नहीं करता है तो Bailee मरम्मत के लिए मजदूरी की प्राप्ति हेतु उस वस्तु को रोकने का अधिकार नहीं होगा अर्थात Right of lien प्राप्त नहीं होगा। अगर माल में आंशिक मरम्मत किया गया है तो उसी अनुरूप मजदूरी का कुछ भाग प्राप्त कर सकता है और माल का मालिक आंशिक मजदूरी जितना मरम्मत के लिए शेष है, बिना भुगतान किये वापस ले सकता है।
(6) प्रतिकूल संविदा होने पर Bailee को धारणाधिकार प्राप्त नहीं होगा — यदि Bailor और Bailee के मध्य संविदा है, जिसके अनुसार उपनिहिती को Right of lien प्राप्त न होने का उपबन्ध है तो Bailee को धारणाधिकार प्राप्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए क एक दर्जी ख को कोट बनाने के लिए कपड़ा देता है। ख क वचन देता है कि कोट ज्यों ही पूरा हो जायगा वह उसे परिदत्त कर देगा और पारिश्रमिक के लिए तीन माह का उधार दिया। कोट के लिए भुगतान किये जाने तक ख उसे रोक नहीं सकता।

Q: उपनिहिती के अधिकार एवं कर्तव्य
Right and duty of Bailee

(1) साधारण धारणाधिकार-(धारा-171)

Special Right of Lien की दशा में Bailee केवल उसी माल को रोक सकता है, जिसके सम्बन्ध में उसने कार्य किया है, परन्तु साधारण धारणाधिकार में वह Bailee के किसी भी माल को रोक सकता है, चाहे उसके सम्बन्ध में कार्य किया हो या नहीं किया हो।

इस प्रकार बैंकर, फैक्टर, घाटवाले, उच्च न्यायालय के अटार्नी और बीमा दलाल को साधारण धारणाधिकार प्राप्त है, जब तक कि उसके प्रतिकूल कोई संविदा न हो, परन्तु अन्य किसी भी व्यक्ति को साधारण धारणाधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि उस प्रकार की कोई Express Contract न हो।

(i) बैंकर:- बैंकर को जब तक कि इसके प्रतिकूल कोई संविदा न हो Bailee के रूप में Bailor से प्राप्त सभी माल पर साधारण धारणाधिकार प्राप्त होता है और उन्हें तब तक रोक सकता है जब तक कि उसका समस्त हिसाब-किताब चुका नहीं दिया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि बैंक में माल Bailee के रूप में प्राप्त किया हो।

यदि बैंकर Bailor से कोई माल विशेष प्रयोजन के लिए लेता है या Bailor बैंक को कोई माल किसी विशेष प्रयोजन हेतु देता है तो उस माल पर बैंकर साधारण धारणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है अर्थात उसे रोक नहीं सकता। उदाहरण के लिए एक वाद में ग्राहक ने बैंक को रुपया तार द्वारा दूसरे स्थान पर भेजने के लिए दिया। बैंक ने उस रुपये को नहीं भेजा और ग्राहक द्वारा बैंक को देय रकम को वसूल करने हेतु उस रुपये पर धारणाधिकार का प्रयोग किया है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि रुपया बैंक को एक विशिष्ट प्रयोजन

Scanned with CamScanner

P-3 उपनिहिती के अधिकार एवं कर्तव्य
Right and duty of Bailee.

हेतु दिया गया था इसलिए बैंक उस पर Right of lien का प्रयोग नहीं कर सकता है परन्तु एक उल्लेखनीय बात यह है कि यदि माल बैंकर को किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया जाता है परन्तु विशेष प्रयोजन पूरा नहीं होता है तो उस पर बैंकर Right of lien का प्रयोग कर सकता है।

मुद्रा (money) पर Right of lien का प्रयोग हो सकता है या नहीं; यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ उच्च न्यायालयों ने यह मत व्यक्त किया है कि बैंक ~~अन्य पर अधिकार~~ के पास जमा की गई मुद्रा (money) पर बैंक Right of lien का प्रयोग कर सकता है।

इस प्रकार बैंक के पास यदि किसी ग्राहक के दो खाते हैं- एक ऋण खाता और दूसरा जमा खाता तो बैंक जमा खाते पर Right of lien का प्रयोग करके जमा खाते की रकम में से ऋण खाते में रकम डाल सकता है और इस प्रकार ग्राहक के जमा खाते की रकम से उसके द्वारा लिए गये ऋण को समायोजित कर सकता है।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम मध्य प्रदेश आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के वाद में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि धारा 171 बैंक में जमा की मुद्रा (money) के सम्बन्ध में लागू नहीं होती है और इस कारण बैंक के पास जमा की गई मुद्रा पर बैंक Right of lien का दावा नहीं कर सकता। क्योंकि बैंक और उसके पास मुद्रा जमा करने वाले व्यक्ति के मध्य ऋणी और ऋण दाता का सम्बन्ध होता है। धारा 171, बैंक के पास जमा किये गये पेपर, प्रतिभूति और अन्य माल के सम्बन्ध में ही लागू होती है; जमा पर नहीं।

(2) फैक्टर → फैक्टर से तात्पर्य ऐसे अभिकर्ता से है जो अपने स्वामी के माल का कब्जा विक्रय के प्रयोजन हेतु रखता है। इस प्रकार फैक्टर भी अभिकर्ता होता है और इसे स्वामी अपने माल का कब्जा उस माल को बेचने के प्रयोजन हेतु देता है। फैक्टर

Scanned with CamScanner

R-4 उपनिहिती के अधिकार एवं कर्तव्य (Right and duty of Bailee)

जब तक की उसके प्रतिकूल कोई संविदा न हो, फैक्टर ने रूप में स्वामी से प्राप्त माल पर सामान्य Right of lien प्राप्त होता है और उसे तब तक रोक सकता है जब तक कि उसका समस्त हिसाब किताब चुका नहीं दिया जाता है। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि फैक्टर ने स्वामी के माल का कब्जा कारबार के सामान्य अनुक्रम में फैक्टर की हैसियत से प्राप्त किया हो।

(3) घाटवाल (Wharfinger) → घाट के स्वामी या नियंत्रक को घाटवाल कहते हैं। घाट के प्रयोग करने पर घाटवाल को जो रकम देय होती है उसे वसूल करने के लिए वह उस व्यक्ति के माल पर Right of lien का प्रयोग कर सकता है जो इस प्रकार घाट का प्रयोग करने के कारण घाटवाल को रकम देने के दायित्वाधीन है, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि घाटवाल ने उस माल का कब्जा घाटवाल की हैसियत से प्राप्त किया हो।

(4) उच्च न्यायालय के अटर्नी: उच्च न्यायालय के अटर्नी को भी Right of lien प्राप्त है वह अपनी फीस वसूल करने के लिए अपने मुवक्किल (client) के कागजात को रोक सकता है। यदि client अटर्नी को हटा देता है तो वह अपनी फीस के लिए उन सभी कागजातों पर Right of lien का प्रयोग कर सकता है जो उसे client से प्राप्त हुआ है। परन्तु यदि उसने स्वयं client को छोड़ दिया है तो वह मुवक्किल द्वारा प्राप्त कागजातों पर अपनी फीस वसूल करने हेतु Right of lien का प्रयोग नहीं कर सकता है।

(5) बीमा दलाल (policy Broker) → बीमा दलाल से तात्पर्य ऐसे बीमा अभिकर्ता से है जिसे समुद्रीय बीमा (Marine insurance) के लिए रखा जाता। वह अपना फीस प्राप्त करने के लिए अपने मालिक के माल पर सामान्य Right of lien का प्रयोग कर सकता है अर्थात वह अपने स्वामी का माल तब

Scanned with CamScanner

E5 उपनिहिती के अधिकार एवं कर्तव्य
(Right and duty of Bailee)

तक रोक सकता है जब तक कि उसको देय धन की देनगी नहीं कर दी जाती है। बीमा दलाल को भी यह धारणाधिकार तभी प्राप्त होगा जबकि इसके विपरीत कोई संविदा न हो। जैसे बैंकर, फैक्टर, घाटवाले, उच्च न्यायालय के अटार्नी और बीमा दलाल को सांविधिक अधिकार प्राप्त होता है कि वह साधारण धारणाधिकार का प्रयोग कर सके। परन्तु इसके विपरीत इनसे भिन्न अन्य को इस निमित्त कोई सांविधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
यह भी उल्लेखनीय है कि बैंकर, फैक्टर, घाट वाले उच्च न्यायालय के अटार्नी तथा बीमा दलाल को साधारण धारणाधिकार तब-तक प्राप्त होता है जब तक कि इसके विपरीत कोई संविदा हो। इस प्रकार की संविदा को विनिर्दिष्ट (specific) होना आवश्यक है, तभी इसके आधार पर इन्हें साधारण धारणाधिकार का प्रयोग करने से रोका जा सकता है।

(6) Bailee द्वारा दोषकर्ता के विरुद्ध वाद → यदि कोई पर व्यक्ति Bailee को उपनिहित माल के उपभोग या उस पर कब्जे से दोष पूर्वक वंचित करता है या माल को क्षति पहुंचाता है तो Bailee उस पर व्यक्ति पर वाद चला सकता है तथा माल का उपभोग भी स्वामी के सदृश कर सकता है। वाद में जो भी अनुतोष या प्रतिकर के रूप में प्राप्त होगा उसके सम्बन्ध में Bailor और Bailee का आनुपातिक अधिकार होगा (धारा-181)